The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-15022020-216167 CG-DL-W-15022020-216167

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 7]

नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 15—फरवरी 21, 2020 (माघ 26, 1941)

No. 7]

NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 15—FEBRUARY 21, 2020 (MAGHA 26, 1941)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची पृष्ठ सं. पृष्ठ सं. भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं..... (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय 229 भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की छोडकर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक गई सरकारी अधिकारियों की नियक्तियों. नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी अधिस्चनाएं. 197 प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोडकर जो भारत भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में होते हैं). अधिसूचनाएं. भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश..... भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नितयों, भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं...... महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल 561 विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम..... भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ. अधिस्चनाएं. 279 भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और के बिल तथा रिपोर्ट..... डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं...... प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों छोडकर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और और नोटिस शामिल हैं..... उपविधियां आदि भी शामिल हैं)..... भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस..... 289 (रक्षा मंत्रालय को छोडकर) और केन्द्रीय भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को को दर्शाने वाला सम्पुरक.

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—Section 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the		by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) Part II—Section 3—Sub-Section (iii)—Authoritative	*
Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	229 197	texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
Part I—Section 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence		PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
Part I—Section 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence		Part III—Section 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by	
Part II—Section 1—Acts, Ordinances and Regulations Part II—Section 1A—Authoritative texts in Hindi	* Attached and Subordinate Offices of Government of India	279	
language, of Acts, Ordinances and Regulations PART II—Section 2—Bills and Reports of the Select	*	Part III—Section 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
Committee on Bills	*	PART III—Section 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the		Part III—Section 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	21
Administration of Union Territories) PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory	*	Part IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	289
Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India		PART V—Supplement showing Statistics of Births and	
(other than the Ministry of Defence) and		Deaths etc. both in English and Hindi	*

^{*}Folios not received.

भाग I—खण्ड 1 [PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 फरवरी 2020

सं. 04-प्रेज/2020—भारत के राजपत्र के भाग I, खण्ड I में दिनांक 19 मई 2018 को प्रकाशित इस सचिवालय की वीरता के लिए पुलिस पदक से संबंधित दिनांक 04 मई 2018 की अधिसूचना सं. 69 प्रेज201/8 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :—

"एम राजकुमार, आईपीएस"

वीरता के लिए पुलिस पदक के स्थान पर

अपर पुलिस अधीक्षक

"एम राजकुमार, आईपीएस" अपर प्लिस अधीक्षक वीरता के लिए प्लिस पदक का प्रथम बार पढ़ा जाए

पी. प्रवीण सिद्धार्थ विशेष कार्य अधिकारी

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी 2020

सं. एफ. 9-3/2017-यू.3 (ए)—जबिक, केंद्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर अधिगम संस्था को समविश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

- 2. और जबिक, केन्द्र सरकार ने यूजीसी अधिनियम 1950 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का उपयोग करते हुए, यूजीसी की सलाह पर सामान्य श्रेणी के तहत संभावित तारीख के साथ पांच वर्षों की अविध के लिए चैतन्य डिग्री कॉलेज (स्वायत्त) हनमकोंडा, वारंगल, तेलंगाना को 'चैतन्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान' वारंगल, तेलंगाना के नाम पर सम-विश्वाविद्यालय संस्था के रूप में घोषित करते हुए दिनांक 29.11.2019 की अधिसूचना सं. 9-3/2017-यू.3 (ए) जारी की थी।
- 3. जबिक, विश्व भारती शिक्षा सोसायटी, वारंगल, जो कि सम-विश्वविद्यालय की प्रायोजक सोसायटी है, ने अपने दिनांक 09.12.2019 के पत्र के माध्यम से बताया है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य में लगभग समान नामों के साथ अनेक संस्थाए हैं जो लोगों में असमंजस्य पैदा कर सकती हैं। तद्नुसार, सम-विश्वविद्यालय के नाम को "चैतन्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (सम-विश्वविद्यालय)" से "चैतन्य (सम-विश्वविद्यालय)" में परिवर्तित करने का अनुरोध किया गया है।
- 4. और जबिक, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ इस मंत्रालय की दिनांक 29.11.2019 की अधिसूचना सं. 9-3/2017-यू.3 (ए) में उल्लिखित सभी शर्तों एवं निबंधनों, जिनका संस्थान द्वारा अनुपालन जारी रखा जाएगा, के अध्यधीन "चैतन्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान सम विश्वविद्यालय" के नाम को "चैतन्य (सम विश्वविद्यालय)" में परिवर्तित किया जा सकता है।

वी.एल.वी.एस.एस. सुब्बा राव वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 11th February 2020

No. 04-Pres/2020—The following amendment is made in this Secretariat Notification No. 69-Pers./2018 dated 04.05.2018 published in Part I Section 1 of the Gazette of India dated the 19th May, 2018 Relating to the award of Police Medal for Gallantry:—

For

M. RAJ KUMAR, IPS

PMG

ADDL. SP

Read

M. RAJ KUMAR, IPS

(1st Bar to PMG)

ADDL. SP

P. PRAVEEN SIDDHARTH Officer on Special Duty

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 31st January 2020

No. F.9-3/2017-U3 (A)—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as an Institution Deemed to be University.

- 2. And whereas, on the advice of UGC, the Central Government issued Notification No. 9-3/2017-U.3(A) dated 29.11.2019, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act 1956, declaring Chaitanya Degree College (Autonomous), Hanamkonda, Warangal, Telangana as an Institution Deemed to be University in the name of 'Chaitanya Institute of Science & Technology', Warangal, Telangana under general category for a provisional period of five years with prospective date.
- 3. Whereas, Vishwa Bharati Education Society, Warangal which is Sponsoring Society of the Deemed to be University, vide its letter dated 09.12.2019 has submitted that there are many Institutions with almost similar names in the State of Telangana & Andhra Pradesh, which might lead confusion in the minds of people. Accordingly, it has been requested to change the name of the Deemed University from 'Chaitanya Institute of Science & Technology (Deemed University)' to 'Chaitanya (Deemed University)'.
- 4. And whereas, with the approval of competent authority, the name of 'Chaitanya Institute of Science & Technology (Deemed University)' may be changed to 'Chaitanya (Deemed University)' subject to the conditions that all terms & conditions mentioned in this Ministry's Notification No.9-3/2017-U3(A) dated 29.11.2019 shall continue to be adhered by the Institution.

V.L.V.S.S. SUBBA RAO Senior Economic Advisor